# महिलाओं से सम्बन्धित कानून एक दृष्टि में...

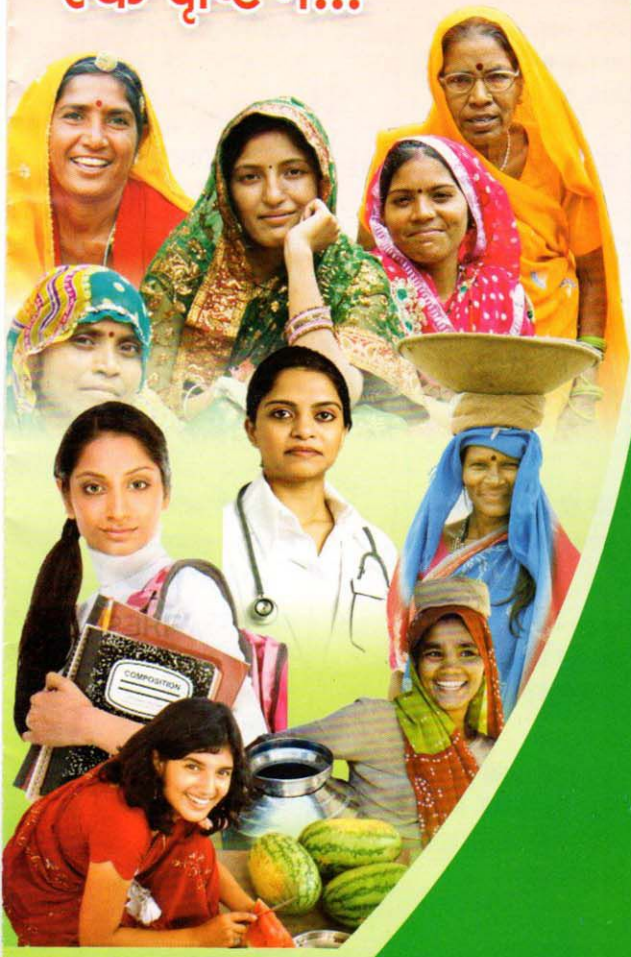

## उ० प्र० राज्य महिला आयोग


मानव अधिकार भवन, तृतीय तल, टी. सी. -34 वी-1,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
फोन : 0522–2306403, फैक्स : 2728671
टॉल फ्री नं० : 1800-180-5220
वेब साइट : mahilaayog.up.nic.in
ई-मेल : up.mahilaayog@yahoo.com

# महिलाओं से सम्बन्धित कानून एक दृष्टि में...

| अपराध | भा.दं.सं. | सजा |
|---|---|---|
| • लोक स्थान पर अश्लील गाने गाना या अश्लील कार्य करना। | 294 | 3 मास/जुर्माना या दोनों |
| • दहेज मृत्यु | 304-बी | आजीवन कारावास (7 वर्ष से कम न होने वाला कारावास हो सकता है) |
| • आत्म हत्या का दुष्प्रेरण | 306 | दस वर्ष कारावास और जुर्माना |
| • गर्भपात कारित करना | 312 | 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों 7 वर्ष और जुर्माना |
| • स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना | 313 | 10 वर्ष से आजीवन कारावास + जुर्माना |
| • अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहृति कारित करना। | 326 | कम से कम 10 वर्ष की सजा जोकि आजीवन कारावास तक हो सकती है तथा जुर्माना। |
| • औरत की शालीनता भंग करने के आशय से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग। | 354 | कम से कम 1 वर्ष जो 5 वर्ष तक हो सकती है व जुर्माना। |
| • लैगिंक उत्पीड़न, जिसमें<br>1.शारीरिक सम्पर्क व अग्र क्रियाएं करना, या<br>2.लैंगिक स्वीकृति के लिए मांग या अनुरोध या<br>3.स्त्री की इच्छा के विरूद्ध बलात् अश्लील साहित्य दिखाना, या<br>4.लैंगिक अभासी टिप्पणी करना शामिल है। | 354-ए | खण्ड 1, 2 व 3 के लिए 3 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों, व खण्ड 4 के लिए 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों। |

# महिलाओं से सम्बन्धित कानून एक दृष्टि में...

| अपराध | भा.दं.सं. | सजा |
|---|---|---|
| • विवस्त्र के आशय से हमला या अपराधिक बल का प्रयोग। | 354-बी | कम से कम 3 वर्ष का कारावास जोकि 7 वर्ष तक हो सकता है तथा जुर्माना। |
| • दृश्यरतिकता - इसके तहत किसी निजी कृत्य में किसी स्त्री को एकटुक देखना, चित्र खींचना व प्रसारित करना शामिल है। | 354-सी | प्रथम दोष सिद्धि पर कम से कम 1 वर्ष का कारावास , जो कि 3 वर्ष तक हो सकता है एवं जुर्माना, द्वितीय व पश्चातवर्ती दोष सिद्धि होने पर कम से कम 3 वर्ष का कारावास जोकि 7 वर्ष तक हो सकता है एवं जुर्माना। |
| • पीछा करना, जिसमें इण्टरनेट, ई-मेल या किसी अन्य प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक संसाधन का प्रयोग किए जाने की मॉनीटर करना शामिल है। | 354-डी | प्रथम दोष सिद्धि होने पर 3 वर्ष की सजा, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि होने पर 5 वर्ष तक की सजा व जुर्माना। |
| • 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को संरक्षक की सम्मति के बिना बहका ले जाना। | 363 | 7 वर्ष + जुर्माना |
| • विवाह के लिए विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत, अपहृत या उत्प्रेरित करना। | 366 | 10 वर्ष + जुर्माना |
| • अवयस्क लड़की का उपापन। | 366-ए | दस वर्ष का कारावास एवं जुर्माना। |
| • विदेश से लड़की का आयात करना। | 366-बी | दस वर्ष का कारावास एवं जुर्माना। |
| • वैश्यावृत्ति के लिए अवयस्क को बेचना/खरीदना। | 372/ 373 | 10 वर्ष + जुर्माना |

# महिलाओं से सम्बन्धित कानून एक दृष्टि में...

| अपराध | भा.दं.सं. | सजा |
|---|---|---|
| • बलात्कार | 376 | कम से कम 7 वर्ष का कारावास जो आजीवन या 10 वर्ष तक हो सकता है व जुर्माना। |
| • पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करना। | 376-ए | 20 वर्ष तक का कारावास जो कि अजीवन कारावास हो सकता है या मृत्यु दण्ड। |
| • पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन। | 376-बी | कम से कम 2 वर्ष जो कि 7 वर्ष तक हो सकती है। व जुर्माना। |
| • प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। | 376-सी | कम से कम 5 वर्ष जोकि 10 वर्ष तक हो सकती है एवं जुर्माना। |
| • सामूहिक बलात्कार | 376-डी | कम से कम 20 वर्ष का कारावास जो कि आजीवन कारावास हो सकता है व जुर्माना। |
| • पुर्नवृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए | 376-ई | आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड। |
| • प्रकृति विरूद्ध अपराध | 377 | 10 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना। |
| • जो पुरूष किसी स्त्री से जोकि विधि पूर्वक विवाहित न हो या प्रवंचना से यह विश्वास कारित करेंगे कि वह विधिपूर्वक विवाहित है और उस विवाहित स्त्री के साथ मैथुन कारित करना। | 493 | 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। |

# महिलाओं से सम्बन्धित कानून एक दृष्टि में...

| अपराध | भा.दं.सं. | सजा |
|---|---|---|
| • पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी शादी करना। | 494 | 7 वर्ष व जुर्माना |
| • जारकर्म | 497 | 5 वर्ष का कारवास और जुर्माना। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरण के रूप में दण्डनीय नहीं हैं। |
| • विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरूद्ध रखना। | 498 | 2 वर्ष व जुर्माना या दोनों |
| • पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा स्त्री पर क्रूरता। | 498-ए | तीन वर्ष व जुर्माना |
| • महिला की शालीनता को अपमानित करने की मंशा से अपशब्द कहना या अश्लील हरकतें करना। | 509 | एक वर्ष व जुर्माना या दोनों |

## दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान

| अपराध | द.प्र.अ. | सजा |
|---|---|---|
| • दहेज लेना और देना | 3 | 5 साल + जुर्माना |
| • दहेज मांगना | 4 | न्यूनतम 6 माह अधिकतम 2 साल एवं जुर्माना |

# महिलाओं से सम्बन्धित कानून एक दृष्टि में...

| दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रावधान | धारा |
|---|---|
| • स्त्री की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय से पहले नहीं, यदि आवश्यक हो तो महिला पुलिस द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद। | 46 |
| • भरण पोषण। | 125 |
| • किसी स्त्री से, ऐसे स्थान से जिसमें वह निवास करती है, भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी। | 160 |
| • बलात्कार के अपराध की जांच या विचारण बंद कमरे में किया जायेगा। | 327 |

## अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- महिलाओं के अधिकारों के लिए "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005" लागू हुआ।
- कार्यस्थल पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न पर विशाखा बनाम राजस्थान प्रकरण में पारित मा. उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश।

  संदर्भ : 1997 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ (क्रिमिनल) 932
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वह अधिकार जो पुरूष वंशज उत्तराधिकारियों को प्राप्त थे वही अधिकार अब स्त्री (पुत्री) वंशज उत्तराधिकारियों को प्राप्त होंगे।

Golden Printers #9838610150